भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1720

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए

1720. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण की वसूली न होने के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य क्षेत्रों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की राशि का आकार कितना है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऐसी आस्तियों का प्रतिशत कितना है; और

(घ) उन प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बैंकों को ऐसी एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्रदान करने से पहले अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : एमएसएमई को बकाया निधि के संबंध में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) और इनके प्रतिशत में नीचे दी गई तालिका के अनुसार गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है:

(राशि करोड़ रुपए में)

समयावधि	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
	एमएसएमई-कुल अग्रिम (बकाया)-वित्तपोषित	एमएसएमई-सकल एनपीए (घरेलू)	एमएसएमई-सकल एनपीए प्रतिशत (घरेलू) एमएसएमई-कुल अग्रिम (बकाया)-वित्तपोषित
31-मार्च-20	16,97,836	1,87,255	11.03%
31-मार्च -21	18,45,188	1,60,464	8.70%
31-मार्च-22	20,44,788	1,54,991	7.58%
31-मार्च-23	23,92,319	1,30,869	5.47%
31-मार्च-24	28,04,511	1,25,217	4.46%

स्रोत : आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2023 और दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत मामलों की संख्या क्रमशः 41,06,379 और 44,62,386 है।

(घ) : आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के मामले में बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और आरबीआई के व्यापक नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।

*****